राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7285/2017

श्रीमती संतोष सिखवाल, पत्नी अनिल कुमार शर्मा, निवासी 13 के.एच.एम. दंतोर वी.पी.ओ. खाजूवाला, जिला बीकानेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, पंचायत राज विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री प्रियांशु गोपा।
प्रतिवादीगण के लिए :

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

03/01/2025

1. याचिकाकर्ता ने स्वयं को श्रवण बाधिता ('एच.आई.') के कारण 80% विकलांगता से ग्रस्त बताते हुए इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26/27.02.2012 (अनुलग्नक 1) के विज्ञापन को चुनौती दी है, जिसके अनुसार उसने शिक्षक ग्रेड III के पद के लिए प्रतिस्पर्धा की थी।

2. अनावश्यक विवरणों को छोड़कर, वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि जिला परीक्षा नियंत्रक (डीईसी), जिला परिषद नागौर द्वारा शिक्षक ग्रेड-III के पद के लिए दिनांक 26/27.02.2012 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने श्रवण बाधित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया और लेवल-1 (VI से VIII) की भर्ती परीक्षा में शामिल होकर 92.64 अंक प्राप्त किए। संशोधित परिणाम के बाद, याचिकाकर्ता के अंक 100.03 अंक

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/713/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

तक अद्यतन किए गए। हालाँकि, श्रेणीवार मेरिट सूची जारी की गई, लेकिन श्रवण बाधित श्रेणी का परिणाम घोषित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने 08.05.2017 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादी मुख्य रूप से दिनांक 09.01.2015 (अनुलग्नक-आर/1) और 16.12.2016 (अनुलग्नक-आर/2) के परिपत्रों की प्रयोज्यता के आधार पर याचिका का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, और उनका मामला यह है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुसार ही प्रदान किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उनके जवाबदावे का भी अध्ययन किया है।

5. सर्वप्रथम, मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि स्वीकार्य स्थिति यह है कि उपरोक्त परिपत्र इस न्यायालय के समक्ष चुनौतीग्रस्त नहीं है, और इसलिए, इसकी प्रयोज्यता को देखते हुए, मेरा मत है कि याचिका गुण-दोष से परे है और खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनाए गए इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि दिनांक 09.02.2015 का परिपत्र (अनुलग्नक R/1) केवल वर्ष 2013 के एक विशेष विज्ञापन पर लागू था, जबकि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2012 के विज्ञापन के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा की थी। परिपत्रों को पढ़ने से कुछ और ही पता चलता है। केवल इसलिए कि दिनांक 09.02.2015 के परिपत्र (अनुलग्नक R/1) के विषय में यह कहा गया है कि यह वर्ष 2013 के विज्ञापन पर लागू होता है, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि यहाँ विचाराधीन विज्ञापन के समय, अर्थात् वर्ष 2012 में, कानून की स्थिति भिन्न थी।

7. इसके अलावा, यह भी पता चला है कि चयन प्रक्रिया में असफल रहने के बाद, याचिकाकर्ता ने इस विज्ञापन को इस आधार पर देर से चुनौती दी है कि शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग में श्रवण बाधितों के लिए विशेष क्षैतिज आरक्षण दिया जाना चाहिए था। यह

कानून की एक स्थापित स्थिति है कि एक बार सीटी बज जाने और मैच शुरू हो जाने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते।

8. प्रतियोगिता में असफल रहने के बाद, याचिकाकर्ता के लिए विज्ञापन को शुरुआत में ही चुनौती देना संभव था, न कि बाद में। याचिकाकर्ता जैसी स्थिति वाले उम्मीदवारों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है, और याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करने से उन उम्मीदवारों के साथ भी भेदभाव होगा जो याचिकाकर्ता के समान ही अयोग्य थे, क्योंकि वे श्रवण बाधित वर्ग से संबंधित थे।

9. इसके अलावा, उत्तर में लिया गया निम्नलिखित स्पष्ट रुख निर्विवाद रहा है, जो इस प्रकार है:-

> *3.* रिट याचिका के पैरा संख्या *9* से *11* की विषय-वस्तु के संबंध में, यह सादर निवेदन है कि याचिकाकर्ता ने सामान्य-महिला-शारीरिक रूप से विकलांग-उच्च शिक्षा श्रेणी के अंतर्गत शिक्षक ग्रेड-*III*, लेवल-*II*, विषय-हिंदी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। हालाँकि, अतिरिक्त आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक *9.2.2015* के खंड *3* के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को दिव्यांग/अशक्त/अशक्त श्रेणी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों में वितरित किया जाना था। सुलभ संदर्भ के लिए, परिपत्र दिनांक *9.2.2015* का खंड *3* निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:-
>
> "3. निः वित्तजन की श्रवण बाधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना करना- निः क्तिजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 की सपठित अनुसूची के तहत श्रवण बाधित श्रेणी के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विधालय अध्यापक का पद चिन्हित (पहचान करना) नहीं है। इस संबंध में आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भी एक प्रकरण में यह स्थिति स्पश्ट की हुई है। यधपि दिनांक 29.12.2014 को निः क्तिजन अधिनियम 1995 की धारा 32 की अनुसूची के संबंध में जिला परिशदों को अवगत कराते हुये यह निर्देश दे दिये गये थे कि निः क्तिजन श्रेणी दृश्टिबाधित एवं गतिविशयक श्रेणी के पदों की ही वरीयता का निर्धारण करना है तथापि स्पष्ट किया जाना है कि श्रवण बाधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को वरीयता में भामिल नहीं किया जावे। अतएव निः क्तिजन श्रेणी के विज्ञापित पदों को दृश्टिबाधित श्रेणी एवं गतिविशयक (लोकोमोटर) श्रेणी में आपने आये विभाजित किये जाये और जहां विज्ञापित पदों की संख्या विशम है ऐसी स्थिति में विशम संख्याक का पद दृश्टिबाधित श्रेणी के लिए माना जायेगा।"

दिनांक *912015* के परिपत्र की एक प्रति इसके साथ प्रस्तुत की गई है तथा इसे अनुलग्नक आर*/1* के रूप में चिह्नित किया गया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्तावों के अनुपालन में दिनांक *14.8.2017* को एक परिपत्र जारी किया तथा इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए, जिसमें यह प्रावधान है कि-

"विशेष योग्यजन आरक्षण के अन्तर्गत विवेश योग्य जन की श्रेणी विकोश में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को विश योग्यजन की अन्य श्रेणी से नहीं भरा जा सकेगा। ऐसा रिक्त पद आगामी भर्ती के लिए अग्रणित कर रिक्त रखा जावेगा। इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश को अतिक्रमित किया जाता है।"

दिनांक *16.12.2016* के परिपत्र की एक प्रति इसके साथ प्रस्तुत है तथा अनुलग्नक-आर*/2* के रूप में अंकित है।

12. रिट याचिका के पैरा संख्या *12* की विषयवस्तु को अस्वीकार किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सर्वविदित है कि यदि कोई अभ्यर्थी सोच-समझकर चयन प्रक्रिया में भाग लेता है, तो केवल इसलिए कि चयन का परिणाम उसे पसंद नहीं आता, वह पलटकर यह तर्क नहीं दे सकता कि चयन प्रक्रिया उचित नहीं थी। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान प्रतिवादी का कृत्य और कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी, वैध, न्यायोचित, अधिकार क्षेत्र के भीतर है और किसी भी प्रकार की त्रुटि या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और इसे इस माननीय न्यायालय द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए और अत्यंत सम्मानपूर्वक यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ऊपर दिए गए निवेदनों के मद्देनजर, न तो याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय से कोई राहत पाने की हकदार है और न ही उसकी रिट याचिका कानून की नजर में पोषणीय और टिकाऊ है और इसे इस माननीय न्यायालय द्वारा जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।"

10. उपरोक्त रुख, जो कानून के दायरे में प्रतीत होता है, निर्विवाद बना हुआ है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा न तो कोई अतिरिक्त हलफनामा और न ही कोई प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

11. ऐसा होने के कारण, मैं याचिका में लिए गए आधारों और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इसी तर्ज पर दिए गए तर्कों से खुद को सहमत करने में असमर्थ हूं।

12. हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

13. बर्खास्त.

14. मामले से अलग होने से पहले, मैं याचिकाकर्ता के वकील के एक अन्य तर्क पर भी ध्यान देना चाहूंगा, जिससे मैं असहमत हूं और इसे केवल खारिज करने के लिए नोट किया

जा रहा है, कि याचिकाकर्ता ने पहले विज्ञापन को चुनौती नहीं दी थी क्योंकि उसका परिणाम केवल वर्ष 2016 में घोषित किया गया था। इसलिए, उसने विज्ञापन को चुनौती देते हुए वर्ष 2017 में रिट याचिका दायर की।

15. याचिकाकर्ता को यह पूरी तरह से पता था कि संबंधित विज्ञापन में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में श्रवण बाधित उम्मीदवारों के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए, परिणाम घोषित होने के बाद ही पलटना और यह दावा करना कि याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी देर से मिली, रिट याचिका दायर करने में देरी को उचित ठहराने के लिए पूरी तरह से एक बाद की सोच है।

16. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे

90-/जितेन्द्र/आर.माथुर/-
क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं।

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate